दिनांक 28.07.2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

बालाजी मेडिकल के संचालक ने खुले में फेंका मेडिकल वेस्ट निगम ने लगाया10 हजार का जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल संचालक द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई। हाउसिंग बोर्ड में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकते हुए पाए जाने पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने10 हजार रूपए जुर्माना लिया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने इस प्रकार की लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं! मेडिकल के संचालक द्वारा खुले में वेस्ट फेंकने से हवा से उड़कर आसपास फैल रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर जोन 02 वैशाली नगर जोन आयुक्त पूजा पिल्ले के निर्देश पर निगम के अमले ने कार्यवाही की। निगम क्षेत्र में समझाईश के बाद भी गंदगी फैलाने व खुले में कचरा फेंकते हुए पाए जाने पर लगातार दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। मेडिकल संचालक के खिलाफ की गई कार्यवाही के बारे में जोन 02 स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक अंजनी सिंह ने बताया कि वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड स्थित बालाॅजी मेडिकल संचालक द्वारा मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने की शिकायत मिली थी , आज स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वेस्ट को फेंकते हुए पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना लिया गया। वेस्ट को पृथक भी नहीं किया गया था एक ही पाॅलीथीन में सभी प्रकार के मेडिकल वेस्ट एवं डोमेस्टिक वेस्ट को डालकर फेंका जा रहा था, जिसके कारण हवा के माध्यम से कचरा उड़कर अनयंत्र स्थानों पर फैल रहा था , मवेशियों द्वारा खाने की आशंका भी बनी हुई थी। कोरोनाकाल में मेडिकल संचालक द्वारा जानबूझ कर की जा रही लापरवाही को देखते जुर्माना लेने के साथ ही सख्त हिदायत दी गई की दोबारा ऐसा करते हुए पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। भिलाई निगम क्षेत्र में लापरवाही के कारण संक्रमण न फैले इसे देखते हुए ऐसे कृत्य करने वालों पर निगम प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है , इसके पूर्व भी कई बड़े अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट के निष्पादन में लापरवाही पाए जाने पर भारी भरकम जुमार्ना वसूला गया है। कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा , जोनल विनोद पाण्डे , संतोष, ओम प्रकाश तिवारी, सुपरवाईजर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी